बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–प्र0–2 अ0ख0 05 / 16–................... / एम0, पटना, दिनांक–

प्रेषक,

E-mail/
Whatsapp/Web

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उपनिदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– खनिज लदे वाहनों के ओवरलोड, अवैध रूप से प्रेषण तथा परिवहन के क्रम में किये जाने वाले जुर्माने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 3130 / एम0, दिनांक 26.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में प्रसंगाधीन पत्र द्वारा खनिज लदे वाहनों के ओवरलोड, अवैध रूप से प्रेषण तथा परिवहन के लिए किया जाने वाले जुर्माने के संबंध में पूर्व प्रेषित विभागीय निदेश के क्रम में **Standard Operating Procedure to be followed against vehicles carrying minerals illegally** तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।

निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में आवश्यक एवं अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

E-mail/Fax

ज्ञापांकः–.............................. / एम0, पटना, दिनांकः–
प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–3464........ / एम0, पटना, दिनांकः– 27/8/18
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/18
सरकार के अवर सचिव

Alokji-2-A-khanan)

<u>आम–सूचना</u>

Standard Operating Procedure to be followed against vehicles carrying minerals illegally

ओवर लोड तथा अवैध खनिज लदे वाहनों के विरूद्ध की जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई/दण्ड की वसूलनीय राशि को लेकर विभिन्न जिला खनन कार्यालयों में असमंजस की स्थिति की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है। उल्लेखनीय है कि खनिज लदे वाहनों के ओवर लोड तथा अवैध रूप से प्रेषण तथा परिवहन के क्रम में किये जाने वाले जुर्माना के संबंध में विभागीय पत्रांक 3130/एम0 दिनांक 26.07.2018 द्वारा प्रदत्त निदेश सभी जिला खनन कार्यालय को पूर्व से ही संसूचित है, पुनः इसकी विस्तृत व्याख्या निम्नवत् की जाती है:–

Bihar Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2003-

Rule-6(4):- If the officer in charge of the check post or competent officer or any other authorized officer has reason to believe that the mineral is not according to details of the transit pass, such officer or any other authorized officer, shall recover from the person in charge of the carrier the value of the mineral and royalty with other taxes.

Rule-6(5) :-

(a) The officer in charge of the check post or the barrier or Competent Officer or any other authorized officer shall have the power to seize the mineral along with the carrier in transit, if it is not accompanied with a valid transit pass or if the person in charge of the carrier refuses to make the payment under sub rule-4.

(b) The officer in charge of the check post or the barrier or Competent Officer or any other authorized officer shall give a receipt of such mineral and carrier seized by him to the person from whose possession or control it is seized.

(c) The officer in charge of the check post or Competent Officer or authorized officer may direct the person in charge of the carrier

to carry the mineral to the nearest police station or check post or barrier.

Provided that if the person in charge of the carrier, refuses to carry the mineral and the carrier to the nearest police station or check post or barrier the officer in charge or Competent Officer empowered under sub rule (3) may seize the carrier and take the same in his possession.

Provided that if the officer in charge of the check post or Competent Officer or any authorized officer if identified the carrier owner or mines owner he will release seized mineral along with carrier on his personal bond stating therein the value of the mineral and royalty with taxes and shall undertake to deposit within a week from the date of furnishing bond of the person in charge of the carrier willing to take the seized mineral along with the carrier.

इसका तात्पर्य यह है कि परिवहन चालान में अंकित खनिज मात्रा से अगर वाहनों में लदे खनिज की मात्रा अधिक हो तो खनिजों के अन्तर मात्रा पर खनिज के बाजार मूल्य के साथ देय स्वामिस्व एवं अन्य करों की वसूली की जानी है। यदि किसी वाहन चालक/मालिक खनिजों के देय मूल्य तथा स्वामिस्व एवं अन्य करो का भुगतान करने में असमर्थता जाहिर करते हैं या आना–कानी करते हैं तो उस परिस्थिति में Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2003 के नियम–8(a) एवं 8(b) के तहत सक्षम न्यायालय में उक्त वाहन, वाहन चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

वाहन मालिक/चालक के पास वैध परिवहन चालान नहीं होने की स्थिति में चेक पोस्ट अथवा बैरियर के अधिकारी/सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी के पास परिवहन में उपयोग किया जाने वाला वाहन के साथ–साथ खनिज का जप्त करने की शक्ति होगा।

चेक पोस्ट अथवा बैरियर के अधिकारी/सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा नजदीकी थाना या चेकपोस्ट अथवा बैरियर में वाहन मालिक को वाहन के साथ–साथ खनिज भी रखने का आदेश देंगे।

2. इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जाँच के दौरान यदि खनिज लदे कोई भी वाहन बगैर वैद्य चालान का पाया जाता है तो ऐसे मामलों में वाहन में लदे

खनिज की मात्रा के बाजार मूल्य के साथ देय स्वामिस्व एवं अन्य करों की वसूली की जायेगी।

3. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाहनों के axle load में संशोधन के फलस्वरूप अब वाहनों के प्रकार के अनुसार वहन क्षमता निम्नवत् मानी जानी है:—

क्र0	वाहन का प्रकार	पूर्व निर्धारित क्षमता	वर्तमान निर्धारित क्षमता
1	ट्रैक्टर	100 CFT	यथावत
2	6 चक्का ट्रक/वाहन	250 CFT	300 CFT
3	10 चक्का ट्रक	400 CFT	450 CFT
4	12 चक्का ट्रक	500 CFT	600 CFT
5	14 चक्का ट्रक	600 CFT	700 CFT
6	14 चक्का ट्रेलर	600 CFT	650 CFT
7	18 चक्का ट्रक	700 CFT	750 CFT
8	22 चक्का ट्रक	800 CFT	900 CFT

अतः निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में आवश्यक तथा अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।